

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/वि०चि०पदा०-205/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० नीलम कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(पैथोलॉजी), सदर अस्पताल, नवादा को दिनांक 01.04.2025 से 30.09.2026 तक कुल 548(पाँच सौ अड़तालीस) दिन उपभोगित/उपभोग किया जाने वाला अवकाश को वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1066(25), दिनांक 26.05.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के पत्रांक-9889, दिनांक 01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृत किया जाता है।

2. उक्त अवकाश को घटाने के पश्चात डा० नीलम कुमारी को 01 (एक) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-2/वि०चि०पदा०-205/2025-

1461(2) पटना, दिनांक 20/8/2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, नवादा/कोषागार पदाधिकारी, नवादा/डा० नीलम कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (पैथोलॉजी), सदर अस्पताल, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव